

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/माध्य/ SIQE/60819/बैठक/2017-18/272

दिनांक :- 01.04.19

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं,
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषय:- प्राथमिक कक्षाओं में उपचारात्मक शिक्षण योजना बनाकर क्रियान्विति के क्रम में।

प्रसंग :- शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,
जयपुर के पत्र क्रमांक-रामाशिप/जय/एसएजी/2017/9326 दिनांक 28.12.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य शैक्षिक समूह की सत्र 2017-18 की द्वितीय बैठक दिनांक 26.10.17 के बिन्दु संख्या 3 की अनुपालना में लिये गये निर्णय के द्वारा एसआईक्यूई संचालित राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का स्तर सुधार हेतु तृतीय योगात्मक आकलन के पश्चात अप्रैल माह से ही प्रारम्भ किया जा कर लगातार (वर्तमान सत्र के अप्रैल-मई तथा 20 दिन आगामी सत्र माह जून-जुलाई) उपचारात्मक शिक्षण योजना बनाकर कार्य करावें।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सचिव, उपायुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
6. समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है उक्त की अधीनस्थ जिलों में पालना सुनिश्चित करावें।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक एवं प्रारम्भिक।
8. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी।
9. समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ)।
10. शिविरा अनुभाग, कार्यालय हाजा, बीकानेर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. कार्यालय प्रति।



उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर